—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 27 / 2025

उनवान

मुरारी पुत्र सूरजकरण जाति साधू निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।
—— अप्रार्थी :— जरियें राज. पैरोकार

1. कन्हैयालाल पुत्र सूरजकरण,
2. छोटी देवी पत्नि सांवरलाल,
3. नौरती पुत्री सूरजकरण,
4. प्रेमदेवी पुत्री सांवरलाल,
5. रेखा पुत्री सूरजकरण,
6. सीताराम पुत्र सियाराम,
7. नितेश पुत्र सुरेशचन्द,
8. सोनू पुत्र सुरेशचन्द
9. मोनू पुत्र सुरेशचन्द,
10. उषा पत्नि सुरेशचन्द जातिगण साधू निवासी तिहारी नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 25.8.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 3711, 3717 / 6523, 3714, 3715 व 3716 की भूमि आवेदनकर्ता की खातेदारी है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु हाल खसरा नम्बर 3962 सडक भूमि से हाल खसरा नम्बर 6900 / 3713 का उपयोग करता है। राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित नही है। प्रार्थी के पास कोई अन्य रास्ता नही है। अतः प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति आवेदन पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पेरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 3711, 3717 / 6523, 3714, 3715 व 3716 की भूमि आवेदनकर्ता की खातेदारी है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर आवागमन हेतु हाल खसरा नम्बर 396[illegible] भूमि से हाल खसरा नम्बर 6900 / 3713 का उपयोग करता है। तहसीलदार न[illegible] द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 6900 / 3713 पर [illegible] के प्रकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:31:32 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

14/2025 द्वारा मौके पर कोई प्रभावी कार्यवाही नही करने हेतु आदेश पारित किये हुये हैं। प्रार्थी ने उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर निवेदन किया है कि मौका रिपोर्ट प्रार्थी की अनुपस्थिति व बिना सूचना के तैयार की गयी है। मौका रिपोर्ट अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से तैयार की गयी है। किन्तु तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा जिस सिावयचक आराजी में से रास्ता चाहा है। उक्त खसरा नम्बर पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नसीराबाद के प्रकरण संख्या 14/2025 बउनवान भागचन्द बनाम राज. सरकार में मौके पर कोई प्रभावी कार्यवाही नही करने के आदेश पारित किये है। उक्त रिपोर्ट में सिविल न्यायालय के आदेश का अंकन कियां है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की उपस्थिति अथवा सूचना को कोई औचित्य नही है। तहसीलदार द्वारा भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार नही कर मात्र सिविल न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानकारी हाजा न्यायालय को दी है। हाल जमाबंदी में भी उक्त स्थगन का नोट अंकित है। सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के बाद न्यायालय द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि पर रास्ता प्रदान किया जाता है तो नाना प्रकार के विवाद उत्पन्न होगे। सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण में तहसीलदार नसीराबाद पक्षकार है। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय के वादी भागचन्द को भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। उक्त प्रकरण के वादी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये भी प्रकरण में किसी प्रकार का कियान्विति आदेश पारित करना न्यायोचित नही है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की समाप्ति तक प्रकरण में अंतिम आदेश जारी करना न्यायोचित नही है। उक्त प्रकरण धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र है, जिसको अधिक समय तक लम्बित रखना भी उचित नही हैं। यधपि प्रकरण में प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की तामीली पूर्ण नही हुयी है किन्तु प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा है तथा प्रकरण में अंतिम आदेश नही करने के कारण पारित नही किया जा रहा है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का आपत्ति प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। मूल प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाता है। प्रार्थी सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निस्तारण के बाद नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:31:32 IST
Reason: SelfAttested